कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है वर्ष 2023 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रविधि से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत शासनादेश संख्या–2155 / 15–7–2022–1(14) / 2022 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–2432 / 15–7–2022–1(14) / 2022 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 में विहित व्यवस्थानुसार किया गया है। प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति द्वारा परीक्षण, आपत्तियों के निस्तारण के फलरूवरूप परीक्षा केन्द्रों की सूची को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त परिषद की वेबसाइट पर अपलोड / प्रदर्शित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था के छात्र / अभिभावक / प्रधानाचार्य / प्रबन्धक को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति / प्रत्यावेदन परिषद की ई–मेल आई0डी0 **upmspexamcentre@gmail.com** पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक भेज सकते है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति / प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0 / केन्द्रस्थापना / सोलह / 424 - 9 दिनांक: 28-12-2022

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

4– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

7– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

8– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ / बरेली / प्रयागराज / वाराणसी / गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।